

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

510  
2017

भगवानसहाय / दौहिया  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

12/3/22

आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई | अभिभाषक पक्षकारान की बहस के परिपेक्ष में अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21/10/2021 का अवलोकन किया गया | अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21/10/2021 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि एकमात्र अपीलार्थी भगवानसहाय की दिनांक 09/06/2018 को मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके वारिसान के द्वारा प्रकरण को आगे नहीं चलाने का कथन किया गया है एवं पक्षकारान के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं होने का कथन किया गया है, जिसके सन्दर्भ में अभिभाषक रेस्पो. द्वारा भी सहमती जाहिर कर निवेदन किया गया कि पक्षकारान के मध्य तकासमाँ की प्रारम्भिक डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गयी थी जिसमे राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारान के हिस्से को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं रही है मृतक अपीलार्थी भगवानसहाय द्वारा मात्र उन्हें सुने बिना प्रारम्भिक डिक्री पारित होने का कथन कर यह अपील प्रस्तुत की गयी है एवं अब मृतक अपीलार्थी के वारिसान अपील को चलाना भी नहीं चाहते है इसलिये मृतक अपीलार्थी के वारिसान को कुर्रैजात तैयार करते वक्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपील का निस्तारण कर दिया जावे | जिस पर अभिभाषक अपीलार्थी ने भी अपनी अनापत्ति जाहिर की | अतः मृतक अपीलार्थी के वारिसान द्वारा अब इस अपील में कोई रूचि नहीं लेने से एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य तकासमें के वाद में पारित प्रारम्भिक डिक्री के विरुद्ध मात्र सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने का कथन कर प्रस्तुत इस अपील को अब लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जाना उचित समझा जाता है | अतः अधीनस्थ न्यायालय एवं सम्बन्धित तहसीलदार को यह आदेश प्रदान किये जाते है कि वे कुर्रैजात बनाते वक्त मौके पर मृतक अपीलार्थी भगवानसहाय के वारिसान को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी करे एवं पक्षकारान एवं मृतक अपीलार्थी भगवानसहाय के वारिसान की उपस्थिति में कुर्रैजात तैयार कर तत्पश्चात वाद में पक्षकारान की सम्पूर्ण सुनवाई कर अन्तिम डिक्री पारित करे | तदनुसार अभिभाषक पक्षकारान की सहमती अनुसार अपील निर्णित की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जाती है |



*[Signature]*  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जयपुर